रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2422] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2015/कार्तिक 19, 1937
No. 2422] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2015/KARTIKA 19, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2015

का.आ. 3030(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

का.आ. सं. 382 तारीख 7.8.1991 द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित विक्रमशिला गंगेटिक डालफिन अभयारण्य, भागलपुर, बिहार के भागलपुर जिले में अक्षांश 25°10 और 25°25 उ. और देशान्तर 86°30 और 87°15 पू. के बीच है और सुल्तानगंज से गंगा नदी के भाग से कहलगांव के गंगा नदी के मध्य में तीन छोटी पहाड़ियों तक लगभग 60 किलोमीटर की लम्बाई तक फैला हुआ है।

और विक्रमशिला गंगेटिक डालफिन वन्यजीव अभयारण्य में जहाँ गंगेटिक डालफिन, ऊदबिलाव, कछुआ, बहुत सी प्रवासी पक्षियाँ, पारिस्थितक महत्व के लिए महत्वपूर्ण प्रजातियाँ है ;

और जहाँ, गंगा नदी का भाग अभयारण्य है और नदी कभी- कभी अपना मार्ग बदल भी सकती है और अभयारण्य का क्षेत्र संकटपन्न प्रजातियों गंगेटिक डालफिन तथा अन्य वनस्पति एवं जीवजन्तु कि पारिस्थितक महत्व कि प्रजातियों के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है;

और, इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसके विस्तार और सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में विक्रमशिला गंगेटिक डालफिन वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितकीय संवेदी जोन के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य में विक्रमशिला गंगेटिक डालफिन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर से 5.0 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को विक्रमशिला गंगेटिक डालफिन वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार लगभग 12,221 हैक्टेयर क्षेत्र को मिलाकर विक्रमशिला गंगेटिक डालफिन वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर से 5.0 किलोमीटर तक क्षेत्र का है |

(2) इसका सीमा विवरण **उपाबंध – I** पर दिया गया है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का मानचित्र **उपाबंध II** पर उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन कि सीमा इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ-साथ **उपाबंध III** पर उपाबद्ध है |

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन प्रमुख बिन्दुओं पर इसके भीतर आने वाले ग्रामों/मोहल्ला की सूची **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध है |

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा |

(3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी |

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ; और

(viii) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्द्धन करेगी

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे कि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकजन्य विकास और जीविका को सुनिश्चित किया जा सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 20, 24, 30 और 35 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(iii) वर्षा जल संचय; और

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण दस्तकार हैं |

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक स्रोतों --** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, बिहार सरकार के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन,

IndiaCode

पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के आवास के सिवाय कोटागढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए होटलों और नए होटलों और विश्रामस्थलों के सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ; परन्तु पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व-परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में ही नए होटलों और विश्रामस्थलों की स्थापना की अनुज्ञा दी जाएगी |

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन -** परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणीयों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी

द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है | मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप-वे, गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनपचारित बहिस्रार्व और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
विनियमित क्रियाकलाप		
9.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
10.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ।

		(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
11.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
12.	विद्युत केबलों, परेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबलों को अनुज्ञात किया जा सकेगा ।
13.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
15.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
16.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
20.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।
21.	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	सुरक्षा बलों के कैम्प।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में 100% आयातित काष्ठ स्टाक उपभोग करने वाले नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना की जा सकेगी।
24.	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए कनात, लकड़ी के घर आदि जैसे पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटी।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	प्लास्टिक थैलों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	होटल और विश्राम स्थलों का वाणिज्यिक स्थापन।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटलों और विश्रामस्थलों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी तथापि एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
27.	सन्निर्माण क्रियाकलाप	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

		प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा के साथ न्यूनतम तक रखा जाएगा । (ख) एक किलोमीटर से परे तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सन्निर्माण कार्य को सदभाविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य सन्निर्माण क्रियाकलापों को आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा । (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होगा ।
28.	नदियों और प्राकृतिक जल निकायों में मछली पकड़ना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
31.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
34.	वानस्पतिक घेराबन्दी ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे \|
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	आयुक्त, भागलपुर संभाग	—अध्यक्ष
(ख)	राजस्व विभाग, बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
(ग)	जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि	—सदस्य
(घ)	क्षेत्रीय वरिष्ठ शहरी योजनाकार , बिहार सरकार	—सदस्य
(ङ)	क्षेत्रीय अधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना	—सदस्य
(च)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	—सदस्य
(छ)	बिहार सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ	—सदस्य
(ज)	संभागीय वन अधिकारी, भागलपुर	—सदस्य-सचिव

निर्देश शर्तें -

(2) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

IndiaCode

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध

गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/32/2015-ईएसजेड/आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध –।

विक्रमशिला गंगेटिक डालफिन वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के चारों ओर के पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा विवरण

विक्रमशिला गंगेटिक डालफिन वन्यजीव अभयारण्य का पारिस्थितिक संवेदी जोन मुख्यत: भागलपुर जिले में तथा खगरिया जिला के बहुत छोटे भाग में स्थित हैं।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एवं सीमाए निम्नवत है:

(क) सुल्तानगंज में अभयारण्य कि पश्चिमी सीमा पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार अभयारण्य कि सीमा से ऊपर कि ओर 5 किलोमीटर तक होगा।

(ख) अभयारण्य कि उत्तरी सीमा कि ओर अर्थात गंगा नदी के पश्चिमी किनारे कि ओर, किनारे कि ओर, पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार अभयारण्य कि सीमा से 500 मीटर तक होगा।

(ग) काहलगाँव में गंगा नदी के मध्य में तीन छोटी पहाड़ियो पर अभयारण्य कि पूर्वी सीमा कि ओर, पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार गंगा नदी के अनुप्रवाह कि ओर अभयारण्य कि सीमा से 5 किलोमीटर तक होगा।

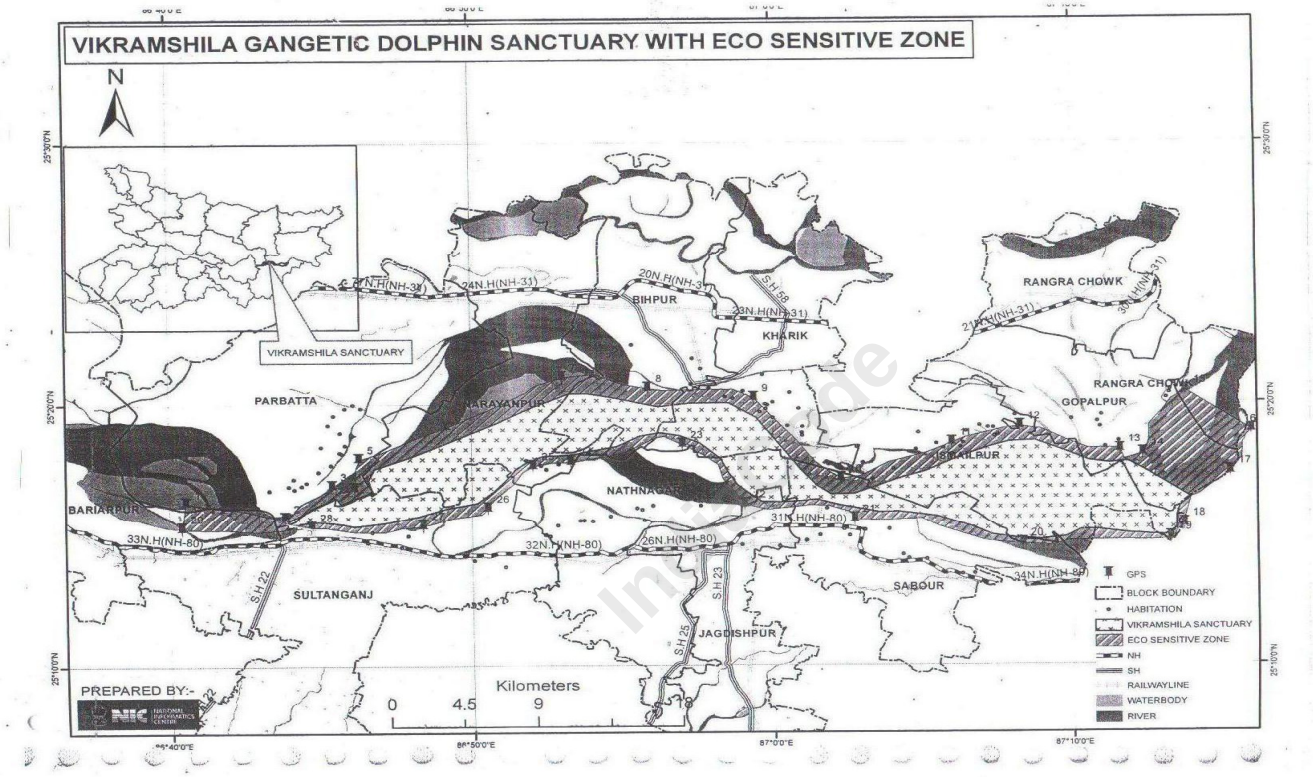
(घ) अभयारण्य कि दक्षिणी सीमा कि ओर अर्थात- गंगा नदी के पश्चिमी किनारे पर, पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार-(i) भागलपुर नगर निगम, सुल्तानगंज नगर परिषद और काहलगाँव नगर पंचायत के सम्मिलित क्षेत्र में अभयारण्य कि सीमा से 100 किलोमीटर तक होगा।

IndiaCode

(ii) सभी ग्रामों/शहरों में, यहाँ (i) में वर्णित भागलपुर नगर निगम, सुल्तानगंज नगर परिषद और काहलगाँव नगर पंचायत के सिवाय 200 मीटर।

उपाबंध – II

विक्रमशिला गंगेटिक डालफिन वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध III

विक्रमशिला गंगेटिक डालफिन वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहरी सीमा के प्रमुख बिन्दुओं को दर्शाने वाले निर्देशांक

आई डी	पारिस्थितिक संवेदी जोन को दर्शाने वाले जी पी एस निर्देशांक
1.	86°40'32.483" पू 25°16'6.139" उ
2.	86°43'48.432" पू 25°15'30.804" उ
3.	86°45'21.537" पू 25°16'43.757" उ
4.	86°46'5.489" पू 25°16'40.403" उ
5.	86°46'14.855" पू 25°17'43.932" उ
6.	86°49'10.730" पू 25°19'4.955" उ
7.	86°52'58.801" पू 25°21'1.668" उ
8.	86°55'50.414" पू 25°20'35.522" उ
9.	86°59'22.132" पू 25°20'12.413" उ
10.	87°2'14.5254" पू 25°17'0.747" उ
11.	87°5'56.763" पू 25°18'24.924" उ

12.	87°8'13.228" पू	25°19'3.885" उ
13.	87°11'34.530" पू	25°18'7.134" उ
14.	87°12'20.541" पू	25°17'57.741" उ
15.	87°13'47.304" पू	25°20'26.333" उ
16.	87°15'57.936" पू	25°18'52.106" उ
17.	87°15'15.106" पू	25°17'13.597" उ
18.	87°13'43.021" पू	25°15'13.672" उ
19.	87°13'15.555" पू	25°14'43.574" उ
20.	86°55'50.414" पू	25°20'35.522" उ
21.	87°2'41.293" पू	25°15'26.521" उ
22.	86°59'2.858" पू	25°16'0.785" उ
23.	86°56'58.651" पू	25°28'22.125" उ
24.	86°53'15.933" पू	25°17'41.436" उ
25.	86°52'0.980" पू	25°17'31.799" उ
26.	86°50'32.107" पू	25°15'52.219" उ
27.	86°48'22.545" पू	25°15'13.672" उ
28.	86°44'40.899" पू	25°15'10.459" उ
29.	86°40'24.988" पू	25°15'8.318" उ

उपाबंध IV

विक्रमशिला गंगेटिक डालफिन वन्यजीव अभयारण्य, बिहार के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले नगर ग्रामों/मोहल्ला की सूची

क्र.सं.	गांव/मोहल्ला	पंचायत /नगर निगम /नगर परिषद /नगर पंचायत	ब्लॉक	जिला	भूमि के उपयोग की प्रकृति	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा
1	2	3	4		5	6
दक्षिणी दिशा						
1	मुरलीपहारी	सुल्तानगंज नगर परिषद	सुल्तानगंज	भागलपुर	जल निकाय	100 मी
2	सुल्तानगंज	सुल्तानगंज नगर परिषद	सुल्तानगंज		कृषि भूमि, आवासीय	100 मी
3	अबजुगंज	सुल्तानगंज नगर परिषद	सुल्तानगंज		कृषि भूमि, आवासीय	100 मी
4	कोलगामा	तिलकपुर पंचायत	सुल्तानगंज		कृषि भूमि	200 मी
5	तिलकपुर	तिलकपुर पंचायत	सुल्तानगंज		कृषि भूमि	200 मी
6	महेशी	महेशी पंचायत	सुल्तानगंज		कृषि भूमि	200 मी
7	पेईन	महेशी पंचायत	सुल्तानगंज		कृषि भूमि	200 मी
8	इंगलिश चिचरौन	महेशी पंचायत	सुल्तानगंज		कृषि भूमि	200 मी
9	अकबरपुर	अकबरपुर पंचायत	सुल्तानगंज		कृषि भूमि	200 मी
10	खैरहिया	अकबरपुर पंचायत	सुल्तानगंज		कृषि भूमि	200 मी
11	भाभनाथपुर	भाभनाथपुर पंचायत	सुल्तानगंज		कृषि भूमि	200 मी
12	खुताहा	भाभनाथपुर पंचायत	सुल्तानगंज		कृषि भूमि	200 मी

IndiaCode

13	चम्पानाल	साहपुर पंचायत	नाथनगर		कृषि भूमि	200 मी
14	रान्नुचक	रान्नुचक पंचायत	नाथनगर		कृषि भूमि	200 मी
15	साहपुर	साहपुर पंचायत	नाथनगर		कृषि भूमि	200 मी
16	कोहबारा	साहपुर पंचायत	नाथनगर		कृषि भूमि	200 मी
17	श्री रामपुर	साहपुर पंचायत	नाथनगर		कृषि भूमि	200 मी
18	दिलदारपुर	साहपुर पंचायत	नाथनगर		कृषि भूमि	200 मी
19	महाशया दौहारी	भागलपुर नगर निगम	नाथनगर		कृषि भूमि, आवासीय	100 मी
20	महानपुर	भागलपुर नगर निगम	नाथनगर		कृषि भूमि, आवासीय	100 मी
21	तिलहाकोथी	भागलपुर नगर निगम	नाथनगर		आवासीय	100 मी
22	साहेबगंज	भागलपुर नगर निगम	नाथनगर		कृषि भूमि, कॉलेज, आवासीय, टी एन बी महाविद्यालय	100 मी
23	महादेव सिंह कॉलेज (कोभीबादी)	भागलपुर नगर निगम	जगदीशपुर		कृषि भूमि, कॉलेज, आवासीय	100 मी
24	कोइलाघाट	भागलपुर नगर निगम	जगदीशपुर		कृषि भूमि, आवासीय	100 मी
25	बुद्धानाथ मंदिर	भागलपुर नगर निगम	जगदीशपुर		कृषि भूमि, मंदिर, आवासीय	100 मी
26	एस. एम. कॉलेज (खंजरपुर)	भागलपुर नगर निगम	जगदीशपुर		कृषि भूमि, कालेज, आवासीय	100 मी
27	मायागंज हॉस्पिटल (मायागंज)	भागलपुर नगर निगम	जगदीशपुर		कृषि भूमि, आवासीय, जे एल एन हॉस्पिटल बी जी पी	100 मी
28	कुप्पाघाट (मायागंज)	भागलपुर नगर निगम	जगदीशपुर		कृषि भूमि, आवासीय, माही आश्रम	100 मी
29	हनुमानघाट	भागलपुर नगर निगम	जगदीशपुर		आवासीय	100 मी
30	रेफुजी कॉलोनी (संत नगर)	भागलपुर नगर निगम	जगदीशपुर		आवासीय	100 मी
31	सिधी घाट	भागलपुर नगर निगम	जगदीशपुर		आवासीय	100 मी
32	शमशान घाट	भागलपुर नगर निगम	जगदीशपुर		आवासीय	100 मी
33	इंडस्ट्रियल एरिया	भागलपुर नगर निगम	जगदीशपुर		आवासीय, औद्योगीक क्षेत्र	100 मी
34	बरारी घाट	भागलपुर नगर निगम	जगदीशपुर		आवासीय, औद्योगिक, स्कूल	100 मी
35	रानी तालाब	भागलपुर नगर निगम	साबौर		स्कूल, शिशु गृह, वाहन प्रदर्शन कक्ष, आवासीय	100 मी
36	इंजिनियरिग कॉलेज	भागलपुर नगर निगम	साबौर		अभियांत्रिकी महाविद्यालय, आवासीय	100 मी
37	साबौर मोर (बाबुपुर)	भागलपुर नगर निगम	साबौर		वाहन प्रदर्शन कक्ष, स्कूल, आवासीय	100 मी
38	बाबुपुर	बाबुपुर	साबौर		स्कूल, मंदिर, आवासीय	200 मी
39	इंगलिश फरका	इंगलिश फरका	साबौर		कृषि भूमि, आवासीय	200 मी
40	हरदासपुर	हरदासपुर	साबौर		कृषि भूमि, आवासीय	200 मी
41	पुन्नुचक	हरदासपुर	साबौर		कृषि भूमि, आवासीय	200 मी
42	एकौसीटोला	साबौर	कहालगांव		कृषि भूमि, आवासीय	200 मी
43	शंकरपुर	साबौर	कहालगांव		कृषि भूमि, आवासीय	200 मी

IndiaCode

44	घोघा (गोलसड़क)	घोघा	कहालगांव		कृषि भूमि, आवासीय	200 मी
45	साहपुर	घोघा	कहालगांव		कृषि भूमि, आवासीय	200 मी
46	नवतोलया	घोघा	कहालगांव		कृषि भूमि, आवासीय	200 मी
47	पक्कीसराय	पक्कीसराय	कहालगांव		कृषि भूमि, आवासीय	200 मी
48	छोटी अमापुर	भोलसार	कहालगांव		कृषि भूमि, आवासीय	200 मी
49	बड़ी अमापुर	पक्कीसराय	कहालगांव		कृषि भूमि, आवासीय	200 मी
50	कुलकुलिया	भोलसार	कहालगांव		कृषि भूमि, आवासीय	200 मी
51	तिनपहरी	गोपालपुर	कहालगांव		कृषि भूमि, आवासीय	200 मी
उत्तरी दिशा						
1	अगुवानी घाट	सियादपुर	परबट्टा	खगरिया	कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
2	राका	सियादपुर	परबट्टा		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
3	लगार	लगार	परबट्टा		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
4	गंगापुर	गंगापुर	परबट्टा		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
5	बिसौनी	संसारपुर	परबट्टा		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
6	मोजामा	मोजामा	परबट्टा		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
7	भरसो	भरसोs	परबट्टा		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
8	लोनियाचक	लोनियाचक	परबट्टा		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
9	भारतखण्ड	भारतखण्ड	नारायनपुर	भागलपुर	कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
10	गनौल	गनौल	नारायनपुर		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
11	मोजामा 2	मोजामा	नारायनपुर		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
12	नारायनपुर	नारायनपुर	नारायनपुर		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
13	सोनबरसा	सोनबरसा	नारायनपुर		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
14	बभानगामा	बभानगामा	बिहपुर		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
15	नरकटिया	गौरीपुर	बिहपुर		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
16	लतीपुर	लतीपुर	बिहपुर		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
17	काजी कोरमा	लतीपुर	बिहपुर		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
18	खैरपुर	खैरपुर	खारिक		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
19	सोथिया	राघोपुर	खारिक		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
20	लोदीपुर	राघोपुर	खारिक		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
21	राघोपुर	राघोपुर	खारिक		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
22	अलालपुर	अलालपुर	खारिक		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
23	जय मंगल टोला	अलालपुर	खारिक		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
24	हाई लेवल (पुल के ऊपर)	अलालपुर	खारिक		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
25	बिनोवा	अलालपुर	खारिक		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी

IndiaCode

26	केलाबड़ी	अलालपुर	खारिक		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
27	इस्माइलपुर	इस्माइलपुर	इस्माइलपुर		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
28	नवटोलिया	नवटोलिया	इस्माइलपुर		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
29	कमलाकुण्ड	कमलाकुण्ड	इस्माइलपुर		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
30	दियारा तिनतंगा	दियारा तिनतंगा	इस्माइलपुर		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी
31	करारी तिनतंगा	करारी तिनतंगा	इस्माइलपुर		कृषि भूमि, आवासीय	500 मी

उपाबंध V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)
के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)
के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2015

S.O. 3030(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forestand Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Ali Ganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at:- esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary, Bhagalpur notified as a wildlife sanctuary under Wildlife (Protection) Act 1972 vide S.O. 382 dated 07.08.1991 lies between Latitudes 25°10' and 25°25' N and Longitude 86°30' and 87°15' E in the Bhagalpur District of Bihar and extends over a length of about 60 kilometre of portion of River Ganges from Sultanganj to three hillocks in the middle of River Ganges at Kahalgaon;

AND WHEREAS, the Gangetic dolphin, otter, turtle, many migratory birds are the species of vital ecological importance in Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary;

AND WHEREAS, the portion of River Ganges is sanctuary and the river course may change occasionally and the sanctuary area is essential for conservation of endangered species, the Gangetic Dolphin and other ecologically important species of flora and fauna in this area;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 100 metre to 5.0 kilometre from the boundary of the VikramshilaGangetic Dolphin Sanctuary in the State of Bihar as the Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-**(1) The extent of Eco-sensitive Zone is varies from 100 metres to 5.0 kilometres from the boundary of the Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary. The area of Eco- sensitive Zone is12,221 hectare.

(2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I**.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitude and longitude is appended as **Annexure II**.

(4) The coordinates of Eco-sensitive Zone with its latitudes and longitudes is appended as **Annexure III**.

(5) The list of Villages / Mohalla falling within Eco-sensitive Zone along with coordinates of the prominent points is appended as **Annexure IV.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

i. Environment;

ii. Forest;

iii. Urban Development;

iv. Tourism;

v. Municipal;

vi. Revenue;

vii. Agriculture; and

viii. Bihar State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

IndiaCode

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 20, 24, 30 and 35 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Small scale industries not causing pollution;

(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;

(iii) Rainwater harvesting; and

(iv) Cottage industries including village artisans:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-**(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Bihar in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Bihar.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) *mutatis mutandis* with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981)and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under.-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government. The Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Table

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities:	
1.	Commercial Mining, stone quarrying, brick-kiln, soil excavation, sand mining and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. GodavarmanThirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills, veneer mills or other wood based industries.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Undertaking activities related to tourism like rope ways, over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities:	
9.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
10.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
11.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
12.	Erection of electrical cables,Transmission lines and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
13.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
14.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads, rail tract.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable
15.	Movement of vehicular traffic at night.	For commercial purpose.
16.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
18.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
19.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
20.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment.
21.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.

Indiacode

22.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
23.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive using 100% imported wood stock.
24.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.
25.	Uses of plastic carry bags.	Regulated under applicable laws.
26.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within One Kilometre of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond One Kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities would in conformity and Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
27.	Construction activities.	(a) No new construction of any kind shall be allowed within one kilometer from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be allowed to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed at item 3 (1), the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Further, beyond one kilometre upto the extent of Eco sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan. (c) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.
28.	Fishing in rivers and natural water bodies.	Regulated under applicable laws.
	C. Permitted Activities:	
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources.	Permitted under applicable laws
34.	Vegetative fencing.	Permitted under applicable laws
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.

5. **Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(a) The Commissioner of Bhagalpur, Bhagalpur Division – Chairman;

(b) A representative of Department of Revenue, Government of Bihar- Member;

(c) A representative of Department of Water Resource, Government of Bihar– Member;

(d) Senior Town Planner of the area, Government of Bihar – Member;

(e) The Regional Officer, Bihar State Pollution Control Board, Patna-Member;

(f) A representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Bihar for a term of one year in each case – Member;

(g) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Bihar for a term of one year in each case - Member; and

(h) Divisional Forest Officer / Bhagalpur - Member Secretary.

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State per proforma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/32/2015-ESZ/RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Limits and boundaries of the proposed Eco-sensitive Zone of Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary, Bihar.

The eco-sensitive zone of Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary as is situated mainly in Bhagalpur district and a very small part in Khagaria district;

(2) The boundaries and extent of the Eco-sensitive Zone is as follows:

(a) On the western boundary of the sanctuary at Sultanganj i.e. the Eco-sensitive Zone shall extend up to 5.0 kilometre upstream from the sanctuary boundary;

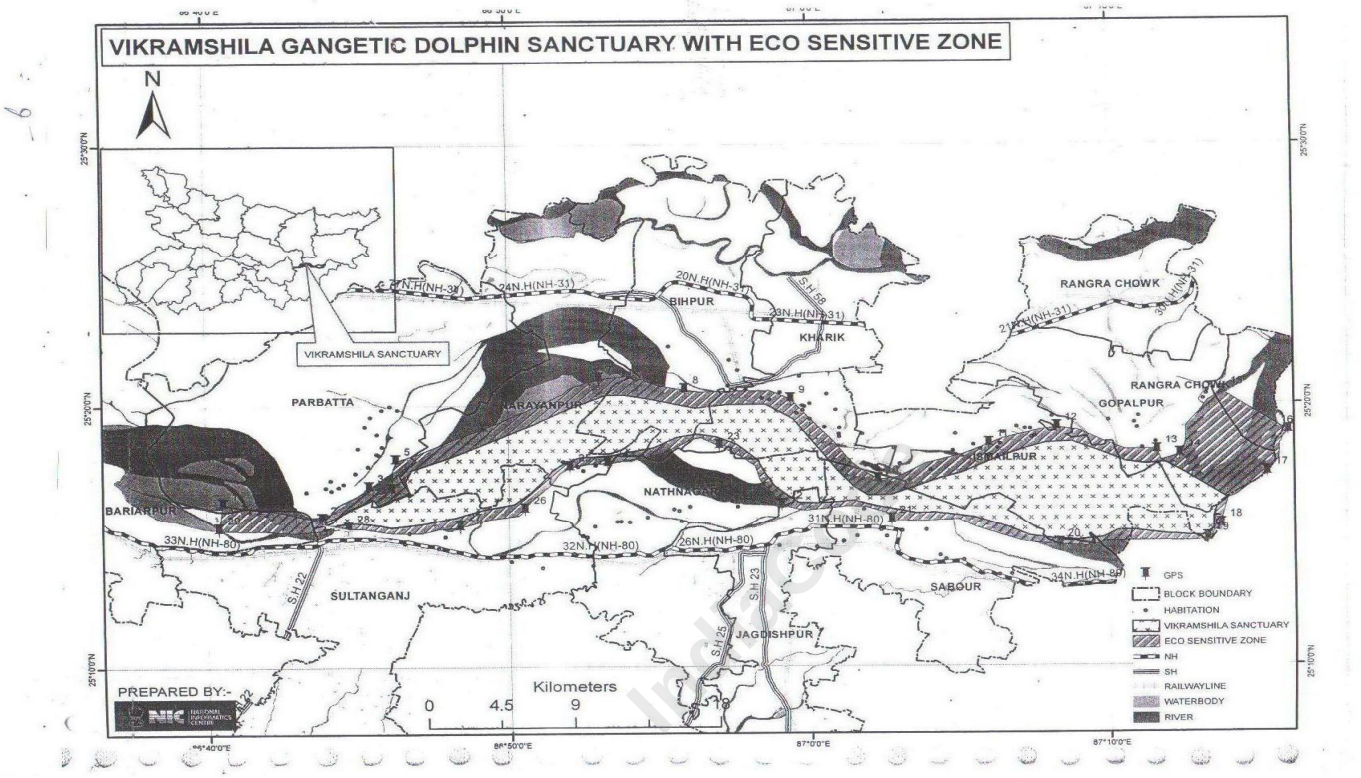
(b) On the northern boundary of the sanctuary i.e. left bank of River Ganges the Eco-sensitive Zone shall extend up to 500 metres from the sanctuary boundary;

(c) On the eastern boundary of the sanctuary at three hillocks in the middle of River Ganges at Kahalgaon, the Eco-sensitive Zone shall extend up to 5.0 kilometre downstream of river Ganges from the Sanctuary Boundary;

(d) On the southern boundary of the sanctuary i.e. left bank of River Ganges, the Eco-sensitive Zone shall extend up to (i) 100 metres from the sanctuary boundary in the areas included in Bhagalpur Municipal Corporation, Sultanganj Nagar Parishad and Kahalgaon Nagar Panchayat and (ii) 200 metre in all the villages/town other than Bhagalpur Municipal Corporation, Sultanganj Nagar Parishad and Kahalgaon Nagar Panchayat mentioned in (i) here.

Annexure-II

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary, Bihar.



Annexure-III

The coordinates showing prominent points of the outer boundary of Eco-sensitive Zone of Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary, Bihar.

Id	GPS COORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE
1.	86°40' 32.483" E 25°16' 6.139" N
2.	86°43' 48.432" E 25°15' 30.804" N
3.	86°45' 21.587" E 25°16' 45.757" N
4.	86°46' 5.489" E 25°16' 40.403" N
5.	86°46' 14.055" E 25°17' 48.932" N
6.	86°49' 10.730" E 25°19' 4.955" N
7.	86°52' 58.801" E 25°21' 1.668" N
8.	86°55' 50.414" E 25°20' 35.522" N
9.	86°59' 22.132" E 25°20' 12.413" N
10.	87°2' 14.524" E 25°17' 0.747" N
11.	87°5' 56.763" E 25°18' 24.924" N
12.	87°8' 13.228" E 25°19' 3.885" N
13.	87°11' 34.530" E 25°18' 7.134" N

14.	87°12' 20.541" E 25°17' 57.741" N
15.	87°13' 47.304" E 25°20' 26.333" N
16.	87°15' 57.936" E 25°18' 52.106" N
17.	87°15' 15.106" E 25°17' 13.597" N
18.	87°13' 43.021" E 25°15' 13.672" N
19.	87°13' 15.555" E 25°14' 43.574" N
20.	87°8' 17.511" E 25°14' 31.912" N
21.	87°2' 41.293" E 25°15' 26.521" N
22.	86°59' 2.858" E 25°16' 0.785" N
23.	86°56' 58.651" E 25°18' 22.125" N
24.	86°53' 15.933" E 25°17' 41.436" N
25.	86°52' 0.980" E 25°17' 31.799" N
26.	86°50' 32.107" E 25°15' 52.219" N
27.	86°48' 22.545" E 25°15' 13.672" N
28.	86°44' 40.899" E 25°15' 10.459" N
29.	86°40' 24.988" E 25°15' 8.318" N

IndiaCode

Annexure-IV

List of Nagar villages/Mohallafalling within the proposed Eco-sensitive Zone of Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary,Bihar.

Sl. No.	Villages/ Mohalla	Panchayat/ Nagar Nigam/ Nagar Parishad/ Nagar Panchayat	Block	District	Nature of Land Use	Extent of Eco-Sensitive Zone
1	2	3	4		5	6
Southern Side						
1	Murli Pahari	Sultanganj Nagar Parishad	Sultanganj	Bhagalpur	Water body	100 mt
2	Sultanganj	Sultanganj Nagar Parishad	Sultanganj		Agricultural land, Residential	100 mt
3	Abjuganj	Sultanganj Nagar Parishad	Sultanganj		Agricultural land, Residential	100 mt
4	Kolgama	Tilakpur Panchayat	Sultanganj		Agricultural land	200 mt
5	Tilakpur	Tilakpur Panchayat	Sultanganj		Agricultural land	200 mt
6	Maheshi	Maheshi Panchayat	Sultanganj		Agricultural land	200 mt
7	Paien	Maheshi Panchayat	Sultanganj		Agricultural land	200 mt
8	English Chichroun	Motichak Panchayat	Sultanganj		Agricultural land	200 mt
9	Akbarpur	Akbarpur Panchayat	Sultanganj		Agricultural land	200 mt
10	Khairehia	Akbarpur Panchayat	Sultanganj		Agricultural land	200 mt
11	Bhabhnathpur	Bhabhnathpur Panchayat	Sultanganj		Agricultural land	200 mt
12	Khutaha	Bhabhnathpur Panchayat	Sultanganj		Agricultural land	200 mt
13	Champanal	Sahpur Panchayat	Nathnager		Agricultural land	200 mt
14	Rannuchak	Rannuchak Panchayat	Nathnager		Agricultural land	200 mt
15	Sahpur	Sahpur Panchayat	Nathnager		Agricultural land	200 mt
16	Kohbara	Sahpur Panchayat	Nathnager		Agricultural land	200 mt

17	Sri Rampur	Sahpur Panchayat	Nathnager		Agricultural land	200 mt
18	Dildarpur Bind Tola	Sahpur Panchayat	Nathnager		Agricultural land	200 mt
19	Mahashya Deohari	Bhagalpur Nagar Nigam	Nathnager		Agricultural land, Residential	100 mt
20	Mohanpur	-do-	Nathnager		Agricultural land, Residential	100 mt
21	Tilhakothi	-do-	Nathnager		Residential	100 mt
22	Sahebganj	Bhagalpur Nagar Nigam	Nathnager		Agricultural land, Residential , School , T N B University	100 mt
23	Mahadeo Singh College (Kobhi Badi)	Bhagalpur Nagar Nigam	Jagdishpur		Agricultural land, College, Residential,	100 mt
24	Koilaghat	Bhagalpur Nagar Nigam	Jagdishpur		Agricultural land, Residential,	100 mt
25	Budhanath Mandir	Bhagalpur Nagar Nigam	Jagdishpur		Agricultural land, Mandir, Residential,	100 mt
26	S.M College (Khanjarpur)	Bhagalpur Nagar Nigam	Jagdishpur		Agricultural land, College, Residential,	100 mt
27	Mayaganj Hospital (Mayaganj)	Bhagalpur Nagar Nigam	Jagdishpur		Agricultural land, Residential, JLN Hospital BGP	100 mt
28	Kuppa Ghat (Mayaganj)	Bhagalpur Nagar Nigam	Jagdishpur		Agricultural land, Residential, Mehi Ashram	100 mt
29	Hanuman Ghat	Bhagalpur Nagar Nigam	Jagdishpur		Residential	100 mt
30	Refuji Coloni (Sant Nagar)	Bhagalpur Nagar Nigam	Jagdishpur	Bhagalpur	Residential	100 mt
31	SidhiGhat	Bhagalpur Nagar Nigam	Jagdishpur		Residential	100 mt
32	Shamshan Ghat	Bhagalpur Nagar Nigam	Jagdishpur		Residential	100 mt
33	Industrial Area	Bhagalpur Nagar Nigam	Jagdishpur		Residential, Industrial Area	100 mt
34	Barari Ghat	Bhagalpur Nagar Nigam	Jagdishpur		Residential, Industrial, School	100 mt
35	Rani Talab	Bhagalpur Nagar Nigam	Sabour		School, Private Nursery, Vehicle Show Room, Residential	100 mt
36	Engineering College	Bhagalpur Nagar Nigam	Sabour		Engineering College, Residential,	100 mt
37	Sabour More (Babupur)	Bhagalpur Nagar Nigam	Sabour		Vehicle Show Room, School, Residential	100 mt
38	Babupur	Babupur	Sabour		School, Mandir, Residential	200 mt
39	English Farka	English Farka	Sabour		Agricultural land, Residential	200 mt
40	Hardaspur	Hardaspur	Sabour		Agricultural land, Residential	200 mt
41	Punnuchak	Hardaspur	Sabour		Agricultural land, Residential	200 mt
42	Ekaousi Tola	Sabour	Kahalgoan		Agricultural land, Residential	200 mt
43	Shankarpur	Sabour	Kahalgoan		Agricultural land, Residential	200 mt
44	Ghogha (Gol Sadak)	Ghogha	Kahalgoan		Agricultural land, Residential	200 mt
45	Sahpur	Ghogha	Kahalgoan		Agricultural land, Residential	200 mt

IndiaCode

46	Nawtolya	Ghogha	Kahalgoan		Agricultural land, Residential	200 mt
47	Pakkisarai	Pakkisarai	Kahalgoan		Agricultural land, Residential	200 mt
48	Chhoti Amapur	Bholsar	Kahalgoan		Agricultural land, Residential	200 mt
49	Badi Amapur	Pakkisarai	Kahalgoan		Agricultural land, Residential	200 mt
50	Kulkulia	Bholsar	Kahalgoan		Agricultural land, Residential	200 mt
51	Tinpahri	Gopalpur	Kahalgoan		Agricultural land, Residential	200 mt
Northern Side						
1	Aguwani Ghat	Siyadatpur	Parbatta	Khagaria	Agricultural land	500 mt
2	Raka	Siyadatpur	Parbatta		Agricultural land	500 mt
3	Lagar	Lagar	Parbatta		Agricultural land	500 mt
4	Gangapur	Gangapur	Parbatta		Agricultural land	500 mt
5	Bishouni	Sansarpur	Parbatta		Agricultural land	500 mt
6	Mojama	Mojama	Parbatta		Agricultural land	500 mt
7	Bharso	Bharso	Parbatta		Agricultural land	500 mt
8	Loniachak	Loniachak	Parbatta		Agricultural land	500 mt
9	Bharatkhand	Bharatkhand	Naryanpur	Bhagalpur	Agricultural land	500 mt
10	Ganoul	Ganoul	Naryanpur		Agricultural land	500 mt
11	Mojama 2	Moujama	Naryanpur		Agricultural land	500 mt
12	Naryanpur	Naryanpur	Naryanpur		Agricultural land	500 mt
13	Sonbarsha	Sonbarsha	Bihpur		Agricultural land	500 mt
14	Babhangama	Babhangama	Bihpur		Agricultural land	500 mt
15	Narkatiya	Gouripur	Bihpur		Agricultural land	500 mt
16	Latipur	Latipur	Bihpur		Agricultural land	500 mt
17	Kaji Korma	Latipur	Bihpur		Agricultural land	500 mt
18	Khairpur	Khairpur	Kharik		Agricultural land	500 mt
19	Sothiya	Raghopur	Kharik		Agricultural land	500 mt
20	Lodipur	Raghopur	Kharik		Agricultural land	500 mt
21	Raghopur	Raghopur	Kharik		Agricultural land	500 mt
22	Alalpur	Alalpur	Kharik		Agricultural land	500 mt
23	Jai Mangal Tola	Alalpur	Kharik		Agricultural land	500 mt
24	High level (Over Bridge)	Alalpur	Kharik		Agricultural land	500 mt
25	Binoba	Alalpur	Kharik		Agricultural land	500 mt
26	Kelabadi	Alalpur	Kharik		Agricultural land	500 mt
27	Ishmailpur	Ishmailpur	Ishmailpur		Agricultural land	500 mt
28	Navtoliya	Navtoliya	Ishmailpur		Agricultural land	500 mt
29	Kamlakund	Kamlakund	Ishmailpur		Agricultural land	500 mt
30	DiyaraTintanga	DiyaraTintanga	Ishmailpur		Agricultural land	500 mt
31	Karari Tintanga	KarariTintanga	Ishmailpur		Agricultural land	500 mt

IndiaCode

Annexure-V

Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

 Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.